न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

बईजलास –दिनेश कुमार यादव,जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

भरण पोषण अपील संख्या–98/2019

अपीलांट	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
पूनाराम पुत्र स्व. मोटाराम जाति जाट निवासी पिपलिया तहसील खींवसर जिला नागौर हाल निवासी प्लोट नं. 113, आनन्द नगर, पेट्रॉल पम्प के पीछे, सांगरिया बाई पास, कुड़ी, जोधपुर राजस्थान।		1. माडू देवी बैवा स्व. मोटाराम जाट निवासी पिपलिया तहसील खींवसर जिला नागौर 2. उपखण्ड अधिकारी, खींवसर 3. राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, नागौर

निर्णय दिनांक 10-02-2020

अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खींवसर द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज प्रकरण संख्या–01/2019 माडू देवी बनाम तुलछीराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2019 से व्यथित होकर दिनांक 10.12.2019 को यह अपील पेश की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 औपचारिक पक्षकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 माडूदेवी का नोटिस तारीख पेशी 16.01.2020 स्वंय तामील होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल है, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 माडूदेवी ने हस्तगत अपील की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

मयाद के बिन्दु पर अपीलान्ट की ओर से खास मुख्तियार सुमित्रा चौधरी उर्फ काजल की अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट की विधिवत तामील करवाये बिना ही अपीलान्ट के पीठ पीछे निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जिससे अपीलान्ट को निर्णय जैर अपील की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। इसलिए तत्पश्चात जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निर्णय की नकल दिनांक 06.12.2019 को प्राप्त होने पर तुरन्त यह अपील पेश करने का कथन करते हुऐ अपील प्रस्तुत करने हेतु देरी को माफ करते हुए अपील मयाद में शुमार करने का निवेदन करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मैरिट पर सुनवाई कर निणर्य पारित करने का निवेदन किया। अपीलान्ट की ओर से बहस पर विश्वास करते हुऐ न्यायहित में अपीलान्ट की अपील पर मैरिट पर सुनवाई की गई।

अपीलान्ट की ओर खास मुख्तियार सुमित्रा चौधरी उर्फ काजल की अपीलान्ट की ओर से एकतरफा बहस सुनी गई। सुमित्रा चौधरी उर्फ काजल की अपीलान्ट की ओर से में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी महोदय खींवसर ने दिनांक 14.08.2019 को वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत अपीलांट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करते हुए एक पक्षीय आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया है। मौखिक बहस में यह ओर कथन किया अपील अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, उस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील नहीं है, जो अपीलान्ट को जारी नोटिस से स्पष्ट है। अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की कोई इतिला नहीं दी गई। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की गलत रूप से तामील मानकर अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

Scanned by CamScanner

अपीलांट अपनी माता को सदैव प्रेम पूर्वक रखता रहा है तथा आज दिन भी आदरपूर्वक रखने को तैयार है। मगर फिर भी गांव में अपीलांट के दीगर भाई बंधू अपीलांट की माता माडूदेवी की वृद्वावस्था व कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर अपीलांट को तंग परेशान करने के लिए झूठी मुकदमेबाजी करवा रहे हैं व इसी क्रम में उपखण्ड अधिकारी, खींवसर के यहां कार्यवाही करवाई व उसमें अपीलांट को सुनवाई के अधिकार से वंचित रखते हुए अपीलांट की पीठ पीछे अपीलांट के विरूद्व सरासर गलत रूप से आदेश पारित करवा लिया है जिससे अपीलांट के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी के यहां माडूदेवी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के पैरा संख्या 1 में निवास स्थान वाली बात से कोई विरोध नहीं है लेकिन बीमार रहने आदि के तथ्य गलत है। इसी प्रकार पैरा संख्या 2 में संतान वाली बात सही है अपीलांट परिवार सहित 25–30 वर्षो से जोधपुर रहकर मजदूरी करता है तथा अपनी माता को अपीलांट ने कभी गाली गलौच नहीं की है अपीलांट की माता गांव में अपनी मर्जी से रहती है अपीलांट जोधपुर में रहता है मुन्नाराम व अन्य 25–30 वर्षो से अपीलांट जब मजदूरी करने जोधपुर गया हुथा तब अपीलांट की जमीन व काश्त नहीं करने देते हैं व जबरदस्ती अन्य भाई बन्धू मिलकर कहते हैं कि अपीलांट को जमीन पर काश्त नहीं करने देंगे तथा अपीलांट को उनके बंट व हक हिस्से की भूमि से वंचित करना चाहते हैं। इसलिए अपीलांट ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी, खींवसर की कोर्ट में मु.नं. 150/14 व प्रार्थना पत्र संख्या 60/14 उपखण्ड अधिकारी के यहां पेश कर रखे हैं प्रार्थी के पुत्र संतान नहीं होने के कारण अपीलांट के भाई बंधु अपीलांट को उनकी संतान को गौदपुत्र के रुप में लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। अपीलांट ने ऐसा करने से मना कर दिया तो ये सारी झूठी मुकदमेबाजी करवा रहे हैं अपीलांट की बेटी पढ़ाई कर रही है उसकी जल्दी शादी करने का दबाव बनाया गया है। अपीलांट की बेटी ने शादी करने से मना कर दिया तो अपीलांट के साथ गाली गलौच व मारपीट की व फोन पर धमकी दी व कहा कि शादी नहीं करेगा तो तुझे जमीन से बेदखल कर देंगे। इस प्रकार की रिकॉडिंग भी अपीलांट के पास है।

अपीलांट व उसकी पुत्री खेत पर काश्त करने के लिए दिनांक 26.07.2018 को गये तो मुन्नाराम वगैरा ने मिलकर मारपीट की व लज्जा भंग की जिसका मु.नं. 125/18 पुलिस थाना खींवसर में दर्ज करवाया गया जो न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर में मामला विचाराधीन है उक्त मुकदमा में राजीनामा करने का दबाव बनाने के लिए अपीलांट की माता से झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया।

अप्रार्थी मुन्नाराम वगैरा ने मिलावट करके माडूदेवी से झूठा आवेदन पेश करवाया है व अपीलांट को परेशान कर रहे है। अपीलांट की माता कभी बीमार नहीं रही है उसके भरण पोषण की कोई समस्या नहीं है। अपीलांट की माता ने अपने हिस्से में अलग से जमीन ले रखी है जिसकी काश्त से आमदनी होती है जिससे आराम से भरण – पोषण होता है तथा वृद्वावस्था पेंशन भी माता को मिलती है इस कारण उपखण्ड अधिकारी का आदेश खारिज किये जाने योग्य है अपीलांट की माता को 6000/– रूपये प्रतिमाह की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अपीलांट की माता अपीलांट के साथ निवास करती है तो उसका भरण पोषण जैसा अपीलांट के परिवार का होता है उसी अनुसार माता का करने को तैयार था व है, का कथन करते हुए उपखण्ड अधिकारी, खींवसर के आदेश दिनांक 14.08.2019 को अस्वीकार कर निरस्त/ रिमाण्ड करने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

जिला कलक्टर
नागौर

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट की ओर से की गई बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्ट व अन्य अन्य को तारीख पेशी 18.07.2019 का जारी नोटिस कमांक–1205 दिनांक 10.07.2019 के अनुसार नोटिस पर तामील कुनिन्दा ने रिपोर्ट की है कि "पुनाराम व तुलछीराम घर पर नहीं होकर जोधपुर की तरफ होने से उन्हे जरिये Mob. 9414880816 व 9829349961 पर नोटिस की तारीख पेशी, समय व न्यायालय से सूचित कराया गया" अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 18.07.2019 अनुसार अपीलान्ट पुनाराम की तामील मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली बहस हेतु 02.08.2019 को नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 14.08.2019 को निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को मोबाईल पर सूचित करने के आधार पर उसकी तामील मानी है, जो कतई विधि सम्मत नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया गया है कि अपील अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, उस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील नहीं है, जो अपीलान्ट को जारी नोटिस से स्पष्ट है। अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की कोई इतिला नहीं दी गई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की नोटिस पर विधिवत तामील नहीं होते हुऐ उसे तामील मानकर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो कतई उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को अपीलान्ट की हद तक अपास्त किया जाता है एवं शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। साथ ही प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलान्ट को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पुनः अपीलान्ट के संबंध में नये सिरे निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 माडूदेवी को निशुल्क भिजवाई जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट खींवसर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 14:12:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: